न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 02/2011

दायर दिनांक 26.08.2011

निर्णय दिनांकः 16.05.2019

अनवान् मुकदमा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, नाथद्वारा

————प्रार्थी

बनाम

श्री भगवानलाल पिता मीठालाल मेघवाल निवासी नाथद्वारा जिला राजसमंद

————अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

2– श्री जितेन्द्र पालीवाल, अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, नाथद्वारा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1359 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.13 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 238/1977 दिनांक 10.10.1977 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री नेना पिता चेना रेगर के नाम पर आवंटन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 95 के द्वारा अप्रार्थी श्री नेना रेगर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। जो जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 के खाता संख्या 344 में नामान्तरण संख्या 430 से खातेदारी तथा 489 बिकाव से श्री रणछोड़ पिता रामजी भाई सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड हैं। जमाबन्दी 2053–2056 के खाता संख्या 319 में नामान्तरण संख्या 586 बिकाव से लक्ष्मीबाई पत्नी हिरालाल सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के खाता संख्या 303 में नामान्तरण संख्या 853 बिकाव से अप्रार्थी श्री भगवानलाल पिता मिठालाल मेघवाल के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है।

भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2024 के अनुसार अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 620 मि0 किस्म नदी होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1991 में इसका मूल खसरा नम्बर 620 रकबा 77.15 बीघा किस्म नदी दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नदी दर्ज रेकार्ड भूमि थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी भूमि होने से अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकीन किस्म नदी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांकः 19.04.2018 को उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रा0पत्र को खारिज किये जाने योग्य होना अंकित किया है।

राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1359 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.13 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 238/1977 दिनांक 10.10.1977 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री नेना पिता चेना रेगर के नाम पर आवंटन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 95 के द्वारा अप्रार्थी श्री नेना रेगर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। जो जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 के खाता संख्या 344 में नामान्तरण संख्या 430 से खातेदारी तथा 489 बिकाव से श्री रणछोड़ पिता रामजी भाई सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड हैं। जमाबन्दी 2053–2056 के खाता संख्या 319 में नामान्तरण संख्या 586 बिकाव से लक्ष्मीबाई पत्नी हिरालाल सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के खाता संख्या 303 में नामान्तरण संख्या 853 बिकाव से अप्रार्थी श्री भगवानलाल पिता मिठालाल मेघवाल के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक सम्वंत् 2024 के अनुसार अप्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 620 मि0 रकबा 04.13 बीघा किस्म नदी होकर मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1961 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 620 रकबा 04.13 बीघा किस्म नदी दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नदी दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी बिलानाम गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों अर्थात् राजस्व स्वामित्व के जल प्रवाह एवं जल संग्रहण की खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील ,तालाब आदि जलाशयों व नदी नाला आदि की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा,88 एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए। अतः उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2007 में क्रय की गयी थी। यही भूमि अप्रार्थी की आजिविका का एक मात्र साधन है। वादग्रस्त भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित भूमि नहीं है। वर्ष 1947 के पूर्व से ही उक्त भूमि कृषि के रूप में प्रयुक्त हो रही है तथा नदी के बहाव क्षेत्र में भी नहीं है और उक्त भूमि से नदी का बहाव क्षेत्र बाधित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार होने से खारिज कराना फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1359 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.13 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। मिसल नम्बर 238/1977 दिनांक 10.10.1977 के द्वारा उक्त भूमियों का श्री नेना पिता चेना रेगर के नाम पर आवंटन होने से जरिये नामान्तरण संख्या 95 के द्वारा अप्रार्थी श्री नेना रेगर के नाम पर राजस्व अभिलेख में

दर्ज की गयी। जो जमाबन्दी सम्वत 2049–2052 के खाता संख्या 344 में नामान्तरण संख्या 430 से खातेदारी तथा 489 बिकाव से श्री रणछोड़ पिता रामजी भाई सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड हैं। जमाबन्दी 2053–2056 के खाता संख्या 319 में नामान्तरण संख्या 586 बिकाव से लक्ष्मीबाई पत्नी हिरालाल सालवी के नाम पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के खाता संख्या 303 में नामान्तरण संख्या 853 बिकाव से अप्रार्थी श्री भगवानलाल पिता मिठालाल मेघवाल के नाम पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है। जबकि रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखते है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम कुंचोली तहसील नाथद्वारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नम्बर 1359 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नम्बर 1360 रकबा 0.18 बीघा कुल किता 3 रकबा 4.13 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 16.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

Scanned by CamScanner